




माननीय न्यायालय राजस्व मंडल मं.प्र. स्वाखिर सभाग स्वाखिर  
प्रकरण क्रमांक पी. बी. अर/2014/निगरानी R- 3702-PBR/14

अर्थात्  
ज



द्वारिका प्रसाद कुशावाह पुत्र स्व.  
श्री बालीराम निवास- ग्राम वीरपुर  
परगना व जिला स्वाखिर मं.प्र.  
----- आवेदक

बनाम

1. श्रीमती कौ शाल्या देवी पति श्री  
गौतम सिंह निवासी - मरी माता मंदिर  
के पीछे, पूनबाग रोड उ स्वाखिर मं.प्र.  
2. श्रीमती जयदेवी कुशावाह पति श्री  
प्रीतम सिंह कुशावाह निवास - श्याम्बाल  
निकेतन स्कूल के पास, तारामंज लखर  
स्वाखिरमं.प्र.

ह  
र

अर्थात् श्री शर्मा कोठ  
7-11-14

----- अनावेदक मण

निगरानी आवेदन धारा 50 भू. रा. स. 1959 के तहत

राजस्व मंडल मं.प्र. स्वाखिर  
महालय,

निवेदन है कि प्रार्थी की ओर से अनुविभागीय अधिकारी स्वाखिर  
वृत्त लखर द्वारा प्रकरण क्रमांक - 29/13-14/अपील में परित  
आदेश दिनांक 22.9.14 के विरुद्ध निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया  
जा रहा है कि :-

7-11-14

संक्षिप्त विवरण :-

यह कि, प्रार्थी के पिता वालीराम के भू स्वामी स्वत्व की आराजी  
मौजा वीरपुर व अज्यपुर में स्थित थी वालीसिंह की मृत्यु सन 1991  
में होने के बाद वालीसिंह द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ती पर प्रार्थी एवं  
प्रार्थी की माँ गणेशी बाई का नामांतरण समान भागमें पंजी  
क्रमांक - 7 ग्राम अज्यपुर पर अधीक्षक भू अन्वेषी द्वारा पारित  
आदेश से दिनांक 3.9.1996 को स्वीकार हुआ उक्त नामांतरण

-----/2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3702-पीबीआर/14

जिला ग्वालियर


स्थान तथा दिनांक


कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों  
आदि के हस्ताक्षर


13-11-2014

आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 22-9-2014 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि तहसीलदार द्वारा अनावेदकगण को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण उन्हें तहसील न्यायालय द्वारा पंजी क्रमांक 29 पर पारित आदेश दिनांक 5-12-2011 की जानकारी नहीं हो सकी एवं दिनांक 11-4-2014 को खसरा प्रतिलिपि प्राप्त करने पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई । चूंकि तहसीलदार द्वारा अनावेदकगण को पक्षकार नहीं बनाया गया है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में प्रथम दृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।

  
(स्वदीप सिंह)  
अध्यक्ष

  
25/11/14

उक्त नामांतरण

/2